35

राजस्थान सरकार
जिला कार्यालय
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,झुंझुनूं
कलेक्ट्रेट, झुंझुनू

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक –F4(4)/DoIT/DHQ-JJN/General/ 105 दिनांक – 06/02/25

कार्यालय आदेश (आंतरिक शिकायत समिति गठन)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एव प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का 14 के अध्याय II – आंतरिक शिकायत समितियों का गठन की पालना में अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक कार्यस्थल (जहां 10 या अधिक कर्मी कार्यरत हो) के लिए एक आतरिक शिकायत समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त की पालना में जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एव संचार विभाग, झुंझुनू हेतु निम्नानुसार आतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है –

नियोक्ता (नियत्रण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष) का नाम – श्री घनश्याम गोयल, एस. ए. (संयुक्त निदेशक),
व्यवसाय – राजकीय कर्मी,
पूर्ण पता . – जिला कार्यालय, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, झुंझुनू,
दूरभाष नं – 9116001536

क्र. स.	पद	नाम	दूरभाष न.	योग्यता
1.	अध्यक्ष	श्रीमती दीपा राणासरिया	8764294983	• एसीपी (उप निदेशक), जिला कार्यालय, सू. प्रौ. एव सचार विभाग, झुंझुनू • वरिष्ठतम महिलाकर्मी
2.	सदस्य 1	श्रीमती विनोद कुमारी	9461684141	• प्रोग्रामर, सू. प्रौ. एव सचार विभाग, [illegible] • कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मी
3.	सदस्य 2	श्री श्रवण मीणा	8432787832	• प्रोग्रामर, जिला कार्यालय, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, झुंझुनू • कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मी
4.	सदस्य 3	श्री राजकुमार मोरवाल	9414080172	• सचिव, बृज स्मृति प्रन्यास, झुंझुनू (rajumorwal735 @gmail.com) • स्वयंसेवी संगठन सदस्य

उपरोक्त समिति निम्न नियमों के अध्यधीन रहेगी –

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होगा।
2. स्वयसेवी सगठन में से नामित सदस्य को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिए मानदेय / भत्ता तथा यात्रा पर उनके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एव प्रतितोष) नियम, 2013 के अनुसार देय होंगे।
3. अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरूद्व एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4(5) मे प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जा सकेगा।
4. अधिनियम के अध्याय VIII की धारा 21(1) की पालना में आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए निर्धारित फार्म में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता को दी जाएगी जो उस रिपोर्ट को जिला अधिकारी (सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) को प्रेषित करेंगे। इस रिपोर्ट मे निम्नलिखित ब्यौरे होंगे –
   - वर्ष मे प्राप्त लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों की संख्या,
   - ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया,
   - ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि [illegible]
   - लैंगिक उत्पीडन के विरूद्ध क्रियान्वित कार्य[illegible] संख्या,
   - नियोक्ता द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरू[illegible]

Signature valid
Digitally signed by Ghanshyam Goyal
Designation : System Analyst (Joint Director)
Date: 2025.02.06 1[illegible]:38:29 IST
Reason: Approved

(घनश्याम गोयल)
एस.ए. (संयुक्त निदेशक)
सू. प्रौ. और संचार विभाग, झुंझुनूं

TD(Neelu Jain)/SA(SS)
ACP(RA)
7/11 -2025

RajKaj Ref No. 13379637

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान, जयपुर
पत्र प्राप्ति
संख्या
दिनांक 10/2/25

क्रमांक: 105 — 111

दिनांक: 06/02/25

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ —

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, संस्थापन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला — झुंझुनू।
3. श्रीमान उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झुंझुनू।
4. समिति अध्यक्ष, श्रीमती दीपा राणासरिया, ए.सी.पी. (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, झुंझुनूं।
5. समिति सदस्य श्रीमती विनोद कुमारी, प्रोग्रामर, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक—नवलगढ
6. समिति सदस्य श्री श्रवण मीणा, प्रोग्रामर, जिला कार्यालय, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, झुंझुनू
7. समिति सदस्य श्री राजकुमार मोरवाल, सचिव, बृज स्मृति प्रन्यास, झुंझुनू।

कार्यालयाध्यक्ष
सू. प्रौ. और संचार विभाग, झुंझुनूं

Signature valid

Digitally signed by Ghanshyam Goyal
Designation : System Analyst (Joint Director)
Date: 2025.02.06 15:38:29 IST
Reason: Approved